संख्याः 2342/ श्रम सेवा/ 538 प्रशि0/2003

प्रेषक,

श्री के0एस0 दरियाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांकः 7 अगस्त–2003

विषयः वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु जनपद उधमसिहं नगर में बाजपुर नामक स्थान पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5742/ डीटीईयू/ 0202/ नये सं0/04/ 2003–04, दिनांक 22 जुलाई–2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि जनपद उधमसिहं नगर में बाजपुर क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुये, इसके लिये प्रस्तावित दो व्यवसाय, विद्युकार एवं फिटर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 13 पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से 29 फरवरी, 2004 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें। सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। वेल्डर तथा कटिंग एण्ड स्वीईंग के ट्रेड हेतु चूंकि उपकरण एवं संयत्र हेतु व्यवस्था नहीं करायी गयी है, अतः उक्त व्यवसायों हेतु अनुदेशकों के दो पदों को तबही भरा जायेगा, जब उक्त व्यवसायों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के नार्म के अनुसार उपकरणों का क्रय हो जाय।

–2–

क0सं0	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1.	प्रधानाचार्य	01	8000–13500
2.	कार्यदेशक	01	6500–10500
3.	व्यवसाय अनुदेशक	04	5000–8000
4.	अनुदेशक कला/ गणित	01	5000–8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
7.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4950
8.	कार्याशाला परिचर	01	2550–3200
9.	चपरासी /चौकीदार	02	2550–3200
	योग :–	13	

चपरासी / अनुसेवक से ही भण्डार परिचर का कार्य लिया जायेगा।

2– उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी देय होगें। उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में आस्थाई वृद्धि के रूप में माने जायेंगें।

3– उक्त संस्थान हेतु स्वीकृत व्यवसाय, यूनिट तथा प्रशिक्षण स्थान का विवरण निम्नवत् है :–

क0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	फिटर	01	16
2.	विद्युतकार	01	16
3.	वेल्डर	01	16
4.	कंटिग एण्ड स्वींईग	01	16

4. उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रूपये 20,45,000.00 (रूपये बीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

बजट व्यवस्था :–

(धनराशि हजार रू0 में)

क0सं0	कोड	मद का नाम	आंवटित–धनराशि
1.	01	वेतन	200
2.	03	मंहगाई भत्ता	125
3.	04	यात्रा भत्ता	10
4.	06	अन्य भत्ते	50
5.	08	कार्यालय व्यय	40
6.	09	विद्युत व्यय	20
7.	10	जलकर/ जलप्रभार	10
8.	17	किराया उपशुल्क	–
9.	21.	छात्रवृत्ति/ छात्रवेतन	20
10.	26	मशीन साज–सज्जा	1500
11.	42	अन्य व्यय	70
		योग :–	2045

26– मशीने एवं साज–सज्जा का मदवार विवरण संलग्न है।

5– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि इकोनोमी मदों में आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये, यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय सम्क्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/ आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्ही मदों मे किया जाये जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। उपकरणों के क्रय में स्टोर परचेज रूल्स का अनुपालन किया जाये, जो उपकरण डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर है, उन्हे इन्ही दरों पर क्रय किया जाये। अन्यथा की स्थिति में क्रय मे टैन्डर/ कोटेशन विषयक शासन के नियमो का अनुपालन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंत मे यदि कोई धनराशि शेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 की अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक–2230– श्रम तथा रोजगार, 03– प्रशिक्षण, 003 – कलाकारों तथा पर्यवेक्षकों का

प्रशिक्षण, 03– दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान, आयोजनागत– 00 के अन्तर्गत उपरिउल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय संख्या– शू0ओ0/ 910 / वि0अनु0– 3/2003, दिनांकः 04, अगस्त– 2003 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(के0एस0 दरियाल)
अपर सचिव।

पृष्टाकंन संख्याः 2343/श्रम सेवा/538–प्रशि0/ 2003, तद्दिनांकित :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी
3– प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर (उधमसिंह नगर)।
4– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित की वे कृपया उक्त सूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर वांछित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– वित्त अनुभाग– 3
6– गार्ड–फाइल।

भवदीय,

7/8

(के0एस0 दरियाल)
अपर सचिव।